

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प. 7(30)वित्त/कर/2021

जयपुर, दिनांक 06 OCT 2021

आदेश


राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971 (समय समय पर संशोधित) के तहत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की वर्ष 2021-22 की दिनांक 23.09.2021 को सम्पन्न बैठक की अभिशंका पर निम्नांकित सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर उनके समक्ष अंकित रिक्ति उपलब्धता तिथि से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	वर्ग	रिक्ति दिनांक
1.	श्रीमती ज्योति अग्रवाल		01.04.2021
2.	श्री देशराज सिंह कुशवाहा		01.04.2021
3.	श्री राजेश बंसल		01.04.2021
4.	श्री लक्ष्मण सिंह		01.04.2021
5.	श्री मयंक शर्मा		01.04.2021
6.	श्रीमती नीतू सिंह राठौड़		01.04.2021
7.	श्रीमती अंजली चौधरी		01.04.2021
8.	श्री नरेश कुमार		01.04.2021
9.	श्री कमलेश कुमार	अजजा	28.04.2021
10.	श्री योगेश चन्द वर्मा	अजा	16.05.2021
11.	श्री मदन लाल	अजा	01.08.2021
12.	श्री दिलीप कुमार बोरीवाल	अजा	01.09.2021

उपरोक्त अधिकारी अपने वर्तमान पदों पर, इन पदों को अस्थाई रूप से यथा आवश्यक क्रमोन्नत मानते हुए, कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे एवं यथा आवश्यकता अपने वर्तमान पद का कार्यभार सम्पादित करेंगे, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त कार्यभार आदि देय नहीं होगा। इन पदों के विधिक कार्य सम्पादन के संबंध में आवश्यकतानुसार आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान उपयुक्त आदेश जारी करेंगे।

यह पदोन्नतियां माननीय उच्च न्यायालय की डी.बी. रिट पिटीशन संख्या 14176/2012 समता आन्दोलन समिति बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 13963/2014 गोपेश माथुर बनाम राजस्थान राज्य एवं एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नंबर 5749/2013 जय सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा डीबी स्पेशल अपील रिट संख्या 753/2019 जय सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में अपील के अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(टी रविकान्त)

शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर)